

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(121)वित्त-1(1)आय.व्य/2018

जयपुर, दिनांक : 28/11/2019

स्वीकृति संख्या:-420/2019-20

कोषाधिकारी,
बारां।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां) के पी.डी.खाते में राशि रुपये 645.40 लाख मात्र के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के द्वारा जारी निम्नांकित स्वीकृतियों में अंकित शर्तों के अनुसार, आयुक्त जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां) के निजी निक्षेप खातों में कुल राशि रुपये 645.40 लाख (अक्षरों रुपये छः करोड़ पैंतालीस लाख चालीस हजार) मात्र निम्नानुसार अंकित बजट मदों के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर दी जावें।

माँग संख्या - 30

राशि रुपये (लाखों में)

बजट मद	स्वीकृति संख्या	राशि (केन्द्रीय सहायता)
2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण 02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796 - जनजातिय क्षेत्र उपयोजना (19) - केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत संचालित योजनाएं [02] - सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनांतर्गत नवाचार योजनाएं हेतु अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	क्रमांक एफ.6/लेखा/सी.टी.ए.डी./सी.एस.एस प्रस्ताव/2019-20/ दिनांक 25.11.2019 स्वीकृति संख्या 67/2019-20	10.00
[04] - सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनांतर्गत जनश्री बीमा योजना हेतु अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	66/2019-20	16.50
[05] - सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनांतर्गत सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी को मानदेय हेतु अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	64/2019-20	100.24
[06] - सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनांतर्गत सहरिया के मॉ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन हेतु अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	63/2019-20	479.66
[09] - मोनेटरिंग तथा प्रशासनिक व्यय हेतु अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	68/2019-20	4.00

[11] - सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनांतर्गत जनजाति विद्यार्थियों के लिए कोचिंग 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	65 / 2019-20	35.00
	योग	645.40

(अक्षरे रूपये छः करोड़ पैंतालीस लाख चालीस हजार मात्र)

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय
W. S. S. S.
(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
- ✓ 4. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बांरा)।
6. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
7. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

AAO II
→
R/S
29/11/19

W. S. S. S.

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)